राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या, अपीलार्थी का नाम एवं पदनाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	आलोच्य आदेश दिनांक एवं अनुलग्नक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	2953/2025 किशोर सिंह, ब्लॉक को–ऑर्डिनेटर	1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं सतत् शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, सीकर। 4. जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, सीकर। 5. नवल सिंह, अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मियां की ढ़ाणी, पलसाना, जिला सीकर।	30.05.2025	23.05.2025 (अनुलग्नक–1)	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक एवं श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता
2.	2955/2025 रमन कटारा, ब्लॉक को–ऑर्डिनेटर	1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, भरतपुर। 4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, नदबई, भरतपुर। 5. सुखवीरा, वर्तमान में अपीलार्थी के स्थान पर ब्लॉक को–ऑर्डिनेटर, सतत् शिक्षा, ब्लॉक नदबई, जिला भरतपुर पदस्थापित।	30.05.2025	23.05.2025 (अनुलग्नक–1)	श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक एवं श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता
3.	2985/2025 पुरेन्द्र सिंह सोनी, ब्लॉक को–ऑर्डिनेटर	1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय, पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. शासन सचिव, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, राजस्थान, शिक्षा संकुल, जयपुर। 3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर। 4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, अलवर। 5. मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक कठूमर, जिला अलवर। 6. जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला निष्पादन समिति (साक्षरता), अलवर।	03.06.2025	27.05.2025, 17.01.2025 एवं 02.06.2025 (अनुलग्नक–1, 2 एवं 3)	श्री कैलाश चन्द कटारा, अभिभाषक एवं श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता
4.	2997/2025 कैलाश चन्द कविया, ब्लॉक को–ऑर्डिनेटर	1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं सतत् शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, सीकर। 4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा, धोद, जिला सीकर। 5. राम सिंह, प्रबोधक लेवल द्वितीय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, चौखा का वास, धोद, जिला सीकर।	04.06.2025	27.05.2025, (अनुलग्नक–1) एवं 03.06.2025 (अनुलग्नक–2)	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक एवं श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता
5.	3003/2025 भंवर लाल, ब्लॉक को–ऑर्डिनेटर	1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर। 3. जिला कलेक्टर, बीकानेर। 4. निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग, जयपुर। 5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर। 6. जितेन्द्र सिंह भाटी, अध्यापक लेवल द्वितीय, सामाजिक अध्ययन, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नसूमा, बीकानेर में कार्यरत।	04.06.2025	27.05.2025, (अनुलग्नक–1)	श्री जाकिर हुसैन, अभिभाषक एवं श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

आदेश की दिनांक : 30.06.2025

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2953/2025 किशोर सिंह बनाम शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं सतत् शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में ब्लॉक को–ऑर्डिनेटर के पद पर पलसाना, जिला सीकर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 1997 में अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर हुई थी और आदेश दिनांक 17.01.2025 के क्रम में अपीलार्थी को ब्लॉक पलसाना में ब्लॉक को–ऑर्डिनेटर के पद पर पदस्थापित किये जाने के निर्देश जारी किये गये और आदेश दिनांक 29.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी को ब्लॉक को–आर्डिनेटर के पद पर पदस्थापित किया गया। अतः दिनांक 30.01.2025 को अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया। उनका तर्क है कि कार्यग्रहण के मात्र 3 माह 23 दिवस की अल्पावधि में ही आालेच्य आदेश दिनांक 23.05.2025 के द्वारा पदस्थापन आदेश को निरस्त करते हुये तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को अनुचित रूप से समायोजित करने के आशय से अपीलार्थी के स्थान पर बिना रिक्त पद के पदस्थापित किया गया। जबकि अपीलार्थी का चयन एक वर्ष के लिये किया गया था और चयन अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही अपीलार्थी का चयन निरस्त कर दिया गया, जो नियम विरूद्ध है। उनका यह भी तर्क है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा गंगाराम विश्नोई बनाम सरकार में यह निर्धारित किया है कि किसी भी कार्मिक द्वारा स्थानांतरण आदेश की पालना करने के पश्चात् निजी प्रत्यर्थी को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाने के आशय से किसी कार्मिक का स्थानांतरण आदेश निरस्त किया जाना मनमाना व पक्षपातीपूर्ण है, जो अनुचित है। इसी प्रकार अधिकरण द्वारा भी ऐसे मामलों में ऐसे स्थानांतरण अनुचित

माने गये हैं। इस प्रकार अपीलार्थी के ब्लॉक को–ऑर्डिनेटर के पद पर निरस्त किया गया चयन विधि एवं नियमों के विपरीत है। उनका यह भी तर्क है कि स्थानान्तरण आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध के बावजूद बिना मुख्यमंत्री कार्यालय की स्वीकृति के आलोच्य आदेश जारी किया गया है और प्रतिबंध के बावजूद अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में पदस्थापन किया गया है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 23.05.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथावत ब्लॉक को–ऑर्डिनेटर के पद पर पलसाना, जिला सीकर में पदस्थापित करने के निर्देश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी अथवा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 के पदस्थापन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। अपितु ये कार्मिक अपने पूर्व कार्यरत स्थानों पर ही कार्यरत रहेंगे। ब्लॉक कार्यालयों में इनका पद भी स्वीकृत नहीं है और इस प्रकार बिना किसी रिक्त पद के निजी प्रत्यर्थी को समायोजित किया जाना गलत कथन है। कार्यव्यवस्था/कार्य आवंटन को स्थानान्तरण वर्णित किया जाना पूर्णतया अनुचित है। प्रत्यर्थी विभाग प्रशासनिक आवश्यकता में किसी भी कार्मिक को कोई भी कार्य आवंटित करने हेतु स्वतंत्र है और इस प्रकार अपीलार्थी का स्थानान्तरण नहीं किया गया अपितु अपीलार्थी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खंडेलसर में कार्यरत है और दिनांक 25.09.2018 से उसी विद्यालय में कार्यरत है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष नियम विरूद्ध है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी विभाग के अधीन ब्लॉक को–ऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हैं। आदेश दिनांक 07.12.2022 द्वारा साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग द्वारा नवभारत साक्षरता कार्यक्रम (2022–2027) का संचालन एवं क्रियान्वयन 01.04.2022 से राज्य के समस्त 33 जिलों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में किया जा रहा है उनमें 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असाक्षरों को साक्षर किये जाने हेतु ब्लॉक समन्वयक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सेकेण्डमेंट के आधार पर प्रत्येक ब्लॉक में तृतीय

श्रेणी राजकीय अध्यापक को ब्लॉक समन्वयक लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी जिसके आधार पर अपीलार्थी को आदेश दिनांक 29.01.2025 के द्वारा कार्यालय ब्लॉक समन्वयक सिकराय में ब्लॉक समन्वयक के पद पर नियुक्त किया गया। अपीलार्थी ने उक्त पद पर दिनांक 30.01.2025 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। परंतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 11.05.2025 के अनुसरण में आलोच्य आदेश दिनांक 23.05.2025 द्वारा जो ब्लॉक समन्वयक के पद पर सेकेण्डमेंट के आधार पर चयनित किये गये थे उनको उनके मूल पदस्थापन स्थान के लिये कार्यमुक्त करने के आदेश पारित कर दिये गये। हमारे मत में आक्षेपित आदेश पूर्णतया प्रशासनिक कारणों से पारित किया गया है चूंकि इस आदेश द्वारा केवल अपीलार्थीगण को ही मूल पदस्थापन स्थान के लिये कार्यमुक्त नहीं किया गया है बल्कि अपीलार्थीगण के समकक्ष सभी कार्मिकों को कार्यमुक्त किया गया है।

यहां यह भी प्रकट होता है कि वर्ष 2024–25 के लिये लगभग 20 लाख असाक्षरों को साक्षर किया जाकर माह मार्च, 2025 में आयोजित होने वाली असेसमेंट परीक्षा में इन 20 लाख नव साक्षरों को सम्मलित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था परन्तु निर्देशित किये जाने के उपरांत भी सम्पूर्ण राज्य में कार्यरत ब्लॉक समन्वयकों द्वारा 15 लाख असाक्षरों का ही सर्वे करवाया गया जो निर्धारित लक्ष्यों से कम था। विभाग के मंत्री ने इसकी समीक्षा करते हुए इसको गंभीरता से लिया एवं सभी कार्यरत ब्लॉक समन्वयकों को बदलने का प्रशासनिक निर्णय लिया गया। यहां यह भी प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण को एवं उनके समकक्ष कार्मिकों को उक्त कार्य निष्पादन हेतु सेकेण्डमेंट के आधार पर लगाया गया था एवं हमारे मत में अपीलार्थीगण को एवं उनके समकक्ष कार्मिकों को पूरी अवधि वर्ष 2022–27 के लिये कार्य आवंटित किया गया हो ऐसा कही भी प्रकट नहीं होता है। एक प्रकार से अपीलार्थीगण को अपने पद के अलावा अतिरिक्त कार्य आवंटित किया गया था परन्तु लक्ष्यों की पूर्ति में असमर्थ रहने के कारण अपीलार्थीगण को पुनः प्रशासनिक कारणों से मूल पदस्थापन स्थान के लिये कार्यमुक्त किया गया है। हमारे मत में अपीलार्थीगण को उक्त चयन आदेश को आलोच्य आदेश द्वारा प्रत्याहारित कर लिये जाने के पश्चात् अनवरत कार्यरत रहने का अधिकार नहीं हैं। अपीलार्थीगण ने माननीय उच्चतम न्यायालय का जो उक्त निर्णय अपने समर्थन में प्रस्तुत किया है वह मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के कारण अपीलार्थीगण के प्रकरण में लागू नहीं होता है। हमारे मत में आलोच्य आदेश पारित करने के पीछे राज्य सरकार का नीतिगत मामला है

एवं राज्य सरकार के नीतिगत मामलों ने अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमारे मत में अपीलार्थीगण के संबंध में पारित आलोच्य आदेश में हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अतः उक्त शीर्षक तालिका में वर्णित अपीलार्थीगण की समस्त अपीलें खारिज फरमाये जाने योग्य हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त शीर्षक तालिका में वर्णित अपीलार्थीगण की समस्त अपीलें बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 2953/2025 किशोर सिंह बनाम शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं सतत् शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य